तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	24.8.20

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु 02/09/2020 को पेश हो।

[signature] सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर

2.9.20

पत्रावली पेश। बवजह बा.अ.। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पेश नकल सुधार तैयार बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास श्री राजकेश मीना आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या :— 129/2018

श्री नरपतसिंह पुत्र अभेसिंह जाति राजपूत निवासी गोधन तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

गण:

श्री कुशालसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी गोधन तहसील खींवसर जिला नागौर
श्री कालुराम पुत्र धर्माराम जाति विश्नोई निवासी ढींगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर
तहसीलदार खींवसर
उप पंजीयक खींवसर

वकील पक्षकारान
1. वकील प्रार्थी :— श्री मूलसिंह राठौड
2. अप्रार्थीगण :—. (एक पक्षीय)

आवेदन अधीन धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

आदेश

दिनांक .....

प्रार्थी ने जरिये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र आवेदन अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अजैन्ट नेचर का होने से उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने से पूर्व हमें एक पक्षीय सुना जावें। प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया गया । प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड अनुसार उक्त प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई है की मौजा ढींगसरा के ख.न. 121/3 रकबा 78.11 बीघा की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे न किसी अन्य से करावे, एवं बैचान हस्तान्तरण, रहन आदी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व की यथास्थिति बनाये रखें। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया गया ।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

2. सुविधा का संतुलन :—

इसमें यह देखा जाता है कि निषेधाज्ञा देने या न देने से किसी पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी या नहीं। जहॉ तक इस बिन्दु का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किये जाने की दशा में अप्रार्थी सं. 1 व 2 से अधिक असुविधा प्रार्थी को होगी। क्योकि उक्त विवादग्रस्त आराजी अविभाजित एवं शुद्विकरण से वंचित है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

3. अपूरणीय क्षति :—

जहॉ तक इस बिन्दू का प्रश्न है प्रार्थना पत्र को स्वीकार न किये जाने की दशा में केवल अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं होकर के साथ में ही प्रार्थी को भी विधिक हानी होकर अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है । चूॅकि प्रार्थी का वादग्रस्त में बंट व कब्जा काष्त होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सभांवना है।

इस प्रकार उपरोक्त विष्लेषण से प्रा.पत्र के तीनो बिन्दू 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूर्णीय क्षति यह तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य होने की वजह से स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेष जारी किया जाता है कि :—

आदेश

अतः मौजा ढींगसरा के ख.न. 121/3 रकबा 78.11 बीघा की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे न किसी अन्य से करावे, एवं बैचान हस्तान्तरण, रहन आदी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व की यथास्थिति बनाये रखने के पूर्व आदेष दिनांक 13.12.2018 को ता—फैसला वाद तक स्थाई (**Confirm**) किया जाता है।

नोटः— उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना *RAS*
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : ..... को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना *RAS*
(सहायक कलक्टर)
खींवसर